शोध उत्कर्ष Shodh Utkarsh
A Peer Reviewed Refereed Multidisciplinary Quarterly International E-Journal
ISSN-2993-4648 Year/Volume: 04, Issue: 14 | April - June 2026 | Impact Factor: 4.5 Page – 103-105

सीधी जिले में कोल जनजाति एवं महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

अनुराग पटेल
अतिथि व्याख्याता
शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी, दुर्ग
E-Mail-anuragadc@gmail.com Mo-9169469442

Received– 27June - 2026
Accepted-29 June- 2026
Published– 30 June 2026
Corresponding Author-
अनुराग पटेल.
अतिथि व्याख्याता. शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी, दुर्ग E-Mail-anuragadc@gmail.com Mo-9169469442
DOI-https://doi.org/10.67275/SU.2026.041426
Funding Policy-
'Shodh Utkarsh' is an independent journal and receives no financial support or grant from any public, commercial, or not-for-profit organization.
वित्त पोषण नीति-
'शोध उत्कर्ष' एक स्वतंत्र पत्रिका है। इसे किसी भी सार्वजनिक, वाणिज्यिक या गैर-लाभकारी संगठन से कोई वित्तीय सहायता, अनुदान या फंडिंग प्राप्त नहीं होती है।
Copyright Notice -
© 2026 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
कॉपीराइट सूचना-
© २०२६ लेखक। यह कार्य क्रिएटिव कॉमन्स अ Attribution 4.0 इंटरनेशनल लाइसेंस (CC-BY 4.0) के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त है।

OPEN ACCESS
Shodh Utkarsh
CC-BY 4.0

1. भूमिका-

भारत में आजादी के लगभग 45 वर्ष बाद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत् पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, जिसने स्थानीय स्वशासन को ग्रामीण भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण का सशक्त माध्यम बनाया। इस संशोधन के अंतर्गत कई उपबन्ध किए गए जिनके से महिलाओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई थी, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों खासकर अनुसूचित जाति और जनजातियों को निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में सहभागी बनाना था। तथापि, आज आजादी के 80 वर्ष बाद भी संवैधानिक प्रावधान और व्यावहारिक सहभागिता के मध्य एक स्पष्ट अंतराल विद्यमान दिखता है, विशेष रूप से उन वनांचल क्षेत्रों में जहाँ जनजातीय एवं लैंगिक पहचान एक साथ दिखने लग जाती हैं।

प्रस्तुत अध्ययन मध्य प्रदेश के सीधी जिले के संदर्भ में कोल जनजाति की महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का विश्लेषण करता है। कोल जनजाति, जो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, विंध्य क्षेत्र में सघन रूप से निवास करती है। अध्ययन का केंद्रीय उद्देश्य यह जाँचना है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में संख्यात्मक आरक्षण किस सीमा तक वास्तविक निर्णयात्मक शक्ति एवं सामाजिक-राजनीतिक सशक्तीकरण में परिवर्तित हुआ है, तथा इस प्रक्रिया में कोल महिलाओं को किन संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

2. शोध समस्या एवं उद्देश्य

यद्यपि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243(D) पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक-पृथक आरक्षण प्रावधान किए गए हैं, किंतु जनजातीय महिलाओं की स्थिति पर केंद्रित अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित हैं। सीधी जिले जैसे अत्यधिक ग्रामीण एवं जनजातीय-बहुल क्षेत्र में यह प्रश्न विशेष महत्व रखता है कि क्या कोल महिला प्रतिनिधि वास्तविक रूप से निर्णय-निर्माण में सहभागी हैं, या 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' (जैसे पति अथवा परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा वास्तविक सत्ता का संचालन) की स्थिति प्रचलित है।इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- सीधी जिले में कोल जनजातीय महिलाओं की पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक सहभागिता की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
- जनजातीय महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में बाधक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों की पहचान करना।
- स्थानीय स्वशासन में आरक्षण नीति के वास्तविक सशक्तीकरण-प्रभाव का मूल्यांकन करना।

3. साहित्य समीक्षा

पंचायती राज में महिला सहभागिता पर उपलब्ध साहित्य यह दर्शाता है कि 73वें संविधान संशोधन के पश्चात महिलाओं की संख्यात्मक उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे उनमें आत्मविश्वास, राजनीतिक कौशल एवं सामाजिक गतिशीलता का विकास हुआ है। तथापि अनेक अध्ययन यह भी रेखांकित करते हैं कि यह सहभागिता प्रायः औपचारिक स्तर तक सीमित रहती है, तथा वास्तविक निर्णय-निर्माण शक्ति पुरुष परिजनों के हाथों में केंद्रित रहती है — जिसे साहित्य में 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' अथवा 'सरपंच-पति परिघटना' के रूप में चिह्नित किया गया है। जनजातीय स्वशासन के संदर्भ में पेसा अधिनियम (PESA), 1996 ने अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को विशेष अधिकार प्रदान किए, जो परंपरागत जनजातीय स्वशासन व्यवस्थाओं को औपचारिक ढांचे में समाहित करने का प्रयास था। किंतु कोल

शोध उत्कर्ष Shodh Utkarsh
A Peer Reviewed Refereed Multidisciplinary Quarterly International E-Journal
ISSN-2993-4648 Year/Volume: 04, Issue: 14 | April - June 2026 | Impact Factor: 4.5 Page – 103-105

जनजाति विशेष पर केंद्रित अध्ययन, विशेष रूप से सीधी जिले के संदर्भ में महिला राजनीतिक सहभागिता को लेकर, अत्यंत सीमित उपलब्ध हैं — यही इस शोध का मुख्य अंतराल (research gap) है, जिसे प्रस्तुत अध्ययन संबोधित करने का प्रयास करता है।

4. शोध पद्धति- प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है, जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र मध्य प्रदेश का सीधी जिला है, जिसे कोल जनजाति के सघन संकेंद्रण के कारण चुना गया। जनसांख्यिकीय आँकड़े जनगणना एवं जिला सांख्यिकीय स्रोतों से लिए गए हैं। चूँकि जनगणना में उप-जनजातीय स्तर पर पृथक आँकड़े सुलभ नहीं हैं, अतः कोल जनजाति की जनसंख्या संबंधी अनुमान क्षेत्रीय अध्ययनों एवं द्वितीयक स्रोतों पर आधारित हैं, जिसे इस अध्ययन की एक स्वीकार्य सीमा (limitation) के रूप में रेखांकित किया जाता है।

5. अध्ययन क्षेत्र: सीधी जिले का जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

सीधी जिला मध्य प्रदेश के अत्यधिक ग्रामीण एवं जनजातीय-बहुल जिलों में गिना जाता है। नवीनतम उपलब्ध जनगणना आँकड़ों के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 11,27,033 है, जिसमें से 91.73% (10,33,912) जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि मात्र 8.27% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में है। यह अत्यधिक ग्रामीण संरचना पंचायती राज संस्थाओं की प्रासंगिकता को और अधिक महत्वपूर्ण बना देती है, क्योंकि जनसंख्या का बहुमत सीधे तौर पर स्थानीय स्वशासन व्यवस्था से प्रभावित एवं संचालित होता है। जिले का लिंगानुपात 957 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है (पुरुष जनसंख्या 5,75,912 एवं महिला जनसंख्या 5,51,121)। साक्षरता दर 64.43% है, जो राज्य औसत से कम है — यह निम्न साक्षरता स्तर विशेष रूप से महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता, सूचना तक पहुँच एवं सक्रिय राजनीतिक सहभागिता में एक संरचनात्मक बाधा के रूप में कार्य करता है। भौगोलिक दृष्टि से जिला 4,851 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला है तथा जनसंख्या घनत्व 232 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, जो बिखरी हुई एवं दूरस्थ बस्तियों की ओर संकेत करता है — यह भौगोलिक विस्तार प्रशासनिक पहुँच एवं दूरस्थ कोल जनजातीय बस्तियों में महिला प्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता को प्रभावित कर सकता है।

तालिका 1: सीधी जिले का जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

संकेतक / चर (Variable)	आँकड़ा / मान (Value)	विश्लेषणात्मक तात्पर्य
कुल जनसंख्या	1,127,033	जिले की कुल मानव पूंजी
ग्रामीण जनसंख्या	1,033,912 (91.73%)	अत्यधिक ग्रामीण समाज; पंचायती राज की अत्यधिक प्रासंगिकता
शहरी जनसंख्या	93,121 (8.27%)	सीमित नगरीकरण
पुरुष जनसंख्या	575,912	—
महिला जनसंख्या	551,121	—
लिंगानुपात (Sex Ratio)	957	प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएँ; सामाजिक-लैंगिक स्थिति
साक्षरता दर (Literacy Rate)	64.43%	राज्य औसत से कम; राजनीतिक जागरूकता में बाधा
भौगोलिक क्षेत्रफल	4,851 वर्ग किमी	बिखरी हुई बस्तियाँ; प्रशासनिक चुनौतियाँ
जनसंख्या घनत्व	232 व्यक्ति/वर्ग किमी	—

5.1 कोल जनजाति की जनसांख्यिकीय स्थिति

कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, जिसका मुख्य संकेंद्रण विंध्य क्षेत्र — विशेष रूप से रीवा, सीधी, सतना एवं सिंगरौली जिलों — में पाया जाता है। यद्यपि आधिकारिक जनगणना स्तर पर कोल जनजाति की जिलावार पृथक जनसंख्या का प्रामाणिक विवरण सुलभ नहीं है, तथापि अनौपचारिक स्रोतों एवं क्षेत्रीय अध्ययनों के अनुमान के अनुसार कोल समुदाय सीधी जिले की कुल जनसंख्या का लगभग 12% तथा जिले की कुल अनुसूचित जनजाति (ST) जनसंख्या का लगभग 30% भाग निर्मित करता है।

यह आँकड़ा दर्शाता है कि सीधी जिले की जनजातीय राजनीति एवं स्थानीय स्वशासन ढांचे में कोल समुदाय की उपस्थिति संख्यात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, यद्यपि यह उपस्थिति राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान रूप से परिवर्तित नहीं हुई है — यही इस अध्ययन की केंद्रीय समस्या है, जिसका विश्लेषण अग्रिम खंड में प्रस्तुत किया जाएगा।

6. राजनीतिक सहभागिता का विश्लेषण

सीधी जिले की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में कुल 411 निर्वाचित सीटें हैं, जिनमें संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं — अर्थात लगभग 205-206 सीटें। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार इन कुल 411 सीटों में से लगभग 20 सीटों पर कोल जनजाति की महिलाएँ निर्वाचित हुई हैं, जो कुल सीटों का लगभग 4.9% भाग बनता है।

यह आँकड़ा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब इसे कोल समुदाय की जनसांख्यिकीय उपस्थिति के साथ जोड़कर देखा जाए। जैसा कि खंड 5.1 में उल्लेख किया गया, कोल समुदाय सीधी जिले की कुल जनसंख्या का लगभग 12% भाग निर्मित करता है। इस दृष्टि से यदि राजनीतिक प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में होता, तो अपेक्षित सीटों की संख्या लगभग 49 (411 का 12%) होनी चाहिए थी। किंतु वास्तविक निर्वाचित संख्या (20 सीटें, लगभग 4.9%) इस अपेक्षा से उल्लेखनीय रूप से कम है। यह अंतराल — जनसंख्यात्मक अनुपात (12%) एवं वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व (4.9%) के मध्य लगभग 7 प्रतिशत बिंदुओं का अंतर — इस बात का प्रारंभिक संकेतक है कि कोल महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता उनकी जनसांख्यिकीय शक्ति के अनुपात में पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो पाई है, तथा यह अंतर जितना प्रतीत होता है उससे कहीं अधिक व्यापक है।

यह अंतराल अनेक संरचनात्मक कारकों से जुड़ा हो सकता है, जिनकी पृष्ठभूमि पूर्व खंडों में रेखांकित की जा चुकी है — जिले की निम्न साक्षरता दर (64.43%), अत्यधिक ग्रामीण एवं बिखरी हुई बस्तियाँ (जनसंख्या घनत्व मात्र 232 व्यक्ति/वर्ग किमी), तथा दूरस्थ भौगोलिक संरचना जो पंचायत बैठकों में सक्रिय उपस्थिति एवं निगरानी को कठिन बनाती है। साथ ही, यह अंतर उस साहित्य में वर्णित 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' की परिघटना की ओर भी संकेत करता है, जहाँ औपचारिक निर्वाचन के बावजूद वास्तविक निर्णय-निर्माण शक्ति महिला प्रतिनिधि के बजाय परिवार के पुरुष सदस्यों के पास केंद्रित रह जाती है।

7. निष्कर्ष एवं भावी दिशा

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सीधी जिले में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद, कोल जनजातीय महिलाओं

शोध उत्कर्ष Shodh Utkarsh
A Peer Reviewed Refereed Multidisciplinary Quarterly International E-Journal
ISSN-2993-4648 Year/Volume: 04, Issue: 14 | April - June 2026 | Impact Factor: 4.5 Page – 103-105

की वास्तविक राजनीतिक सहभागिता उनकी जनसांख्यिकीय उपस्थिति (लगभग 12% जनसंख्या) के सापेक्ष उल्लेखनीय रूप से कम (कुल सीटों का लगभग 4.9%) पाई गई। यह अंतराल दर्शाता है कि संख्यात्मक आरक्षण अकेले जनजातीय महिलाओं के पूर्ण राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए पर्याप्त नहीं है, तथा इसके साथ लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक हैं।

सीधी जिले की अत्यधिक ग्रामीण संरचना, अपेक्षाकृत निम्न साक्षरता दर तथा बिखरी हुई भौगोलिक बस्तियाँ — ये सभी कारक कोल जनजातीय महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के लिए एक जटिल संरचनात्मक पृष्ठभूमि निर्मित करते हैं। इस आधार पर निम्नलिखित नीतिगत सुझाव प्रस्तावित किए जा सकते हैं — कोल महिला प्रतिनिधियों हेतु विशेष क्षमता-निर्माण एवं नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्राम सभा स्तर पर जागरूकता अभियान, तथा प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की रोकथाम हेतु सामुदायिक निगरानी तंत्र का सुदृढ़ीकरण। इस अध्ययन की एक प्रमुख सीमा यह है कि कोल जनजाति की जनसंख्या संबंधी आँकड़े आधिकारिक जनगणना के बजाय अनुमानित/द्वितीयक स्रोतों पर आधारित हैं, तथा राजनीतिक सहभागिता की गुणात्मक प्रकृति (जैसे वास्तविक निर्णय-निर्माण में भूमिका) का विश्लेषण अभी सीमित है। भावी शोध में गहन साक्षात्कार एवं केस-स्टडी आधारित पद्धति के माध्यम से इस अंतराल को और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

*****

संदर्भ सूची (References)

1. जिला प्रशासन सीधी। (n.d.)। सीधी जिला आधिकारिक पोर्टल।
2. National Informatics Centre, भारत सरकार। https://sidhi.nic.in/en/
3. https://panchayat.gov.in/en/document/50-reservation-for-women-in-pri-has-been-provided-as-per-the-madhya-pradesh-panchayat-raj-avam-gram-swaraj-sanshodhan-adhiniyam-2007-which-has-been-incorporated-in-the-principal-a/
4. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1658145
5. https://indiatogether.org/wsarp-government/
6. PubAdmin Institute। (n.d.)। पंचायत चुनावों में सीटों का आरक्षण (Understanding the Reservation of Seats in Panchayat Elections)। https://pubadmin.institute/rural-local-governance/reservation-of-seats-panchayat-elections
7. कुरुक्षेत्र (मासिक पत्रिका)। प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
8. योजना (मासिक पत्रिका)। प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
9. गौर, छ. सिं., एवं शर्मा, आर.के. (2023)। रीवा जिले की गोंड जनजाति की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन। Review of Research, 13(3), ISSN: 2249-894X।
10. https://www.mp.gov.in/